**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**दाण्डिक अपील क्रमांक 25/2000**

**अपीलार्थी** इन्देल

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** राज्य

**दाण्डिक अपील क्रमांक 283/2001**

**अपीलार्थी** पूरन सिंह एवं एक अन्य

**बनाम**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**प्रत्यर्थी** छत्तीसगढ़ राज्य

**निर्णय**

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

**सही/-**

**एन.के.अग्रवाल**

**न्यायाधीश**

**माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायाधीश**

मैं सहमत हूँ ।

**सही/-**

**टी.पी.शर्मा**

**न्यायाधीश**

दिनांक : 7-4-2010 हेतु सूचीबद्ध करे ।

**सही/-**

**एन.के.अग्रवाल**

**न्यायाधीश**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**दाण्डिक अपील क्रमांक 25/2000**

**अपीलार्थीगण** इन्देल आयु लगभग 22 वर्ष पिता मेहतर उर्फ मरी राम, निवासी ग्राम देवपुर, पुलिस थाना अर्जुनी, धमतरी, तहसील व जिला धमतरी (छ.ग.)

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**दाण्डिक अपील क्रमांक 283/2001**

**अपीलार्थीगण**

1. पूरन सिंह पिता मेहत्तर राम आयु 35 वर्ष, कृषक

2. चिरौंजीलाल पिता श्यामलाल आयु 30 वर्ष, कृषक दोनों निवासी ग्राम देवपुर, थाना अर्जुनी, तहसील व जिला धमतरी (छ.ग.)

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना अर्जुनी, जिला धमतरी (छ.ग.)

न्यायपीठ : माननीय श्री **टी. पी. शर्मा एवं**

माननीय श्री **एन. के. अग्रवाल, न्यायमूर्तिगण**

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र पटेल, अधिवक्ता, श्री अब्दुल वहाब, अधिवक्ता की ओर से अपीलार्थी (दां.अ.क्र.25/2000) हेतु

श्री सूर्यकान्त मिश्रा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण (दां. अ. क्र. 283/2001) की ओर से

श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**निर्णय**

**(**7-4-2010**)**

न्यायालय का निर्णय एन. के. अग्रवाल, न्यायाधीश द्वारा दिया गया :-

1. दांडिक अपील क्रमांक 25/2000, जो अपीलार्थी इन्देल द्वारा प्रस्तुत की गई है, तथा दांडिक अपील क्रमांक 283/2001, जो अपीलार्थीगण पूरन सिंह एवं चिरौंजीलाल द्वारा प्रस्तुत की गई है, अपर सत्र न्यायाधीश, धमतरी द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 415/99 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 9-9-2000 से उद्भूत हैं, अतः, ये इस समान निर्णय द्वारा निराकृत की जा रही हैं।

2. आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश द्वारा, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को रमनलाल यादव का मानव वध, जो हत्या की कोटि में आता है, कारित करने तथा दांडिक मामले के साक्ष्य का विलोपन करने का दोषी पाते हुए, उन्हें भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में, 'भा.दं.सं.') की धारा 302 सपठित धारा 34 तथा धारा 201 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया और उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास भुगतने के लिए दण्डादिष्ट किया। तथापि, सह-अभियुक्त रोहित कुमार को आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि प्यारेलाल यादव (अ.सा.8) द्वारा दी गई सूचना पर, मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-9) लेखबद्ध की गई थी। प्यारेलाल (अ.सा.8) ने दिनांक 14-7-99 को अपने भाई रमनलाल यादव की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुमशुदगी रिपोर्ट की जांच के दौरान, अभियुक्त/अपीलार्थी इन्दल कुमार, पूरन सिंह और चिरौंजीलाल ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया और उनकी सूचना पर, मृतक रमनलाल यादव का शव बरामद किया गया। विवेचना अधिकारी (अ.सा.12) ने देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-10) लेखबद्ध की। अ.सा.8 प्यारेलाल द्वारा दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट की जांच के दौरान, दिनांक 12-7-99 को लगभग 11.00 बजे रात्रि एक बेतार संदेश के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि चिरौंजीलाल,

इन्दल कुमार, पूरन ध्रुव और रोहित कुमार ने रमन कुमार की शराब के नशे में झगड़ा होने पर हत्या कर दी है और रोहित कुमार को छोड़कर, शव को सखाराम के खेत में एक मेड़ में दफना दिया है, अन्य तीन अभियुक्त व्यक्तियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पूछताछ पर, उन्होंने यह बताया कि सह-अभियुक्त रोहित कुमार के साथ शराब के पैसे को लेकर हुए झगड़े के कारण उन्होंने रमनलाल का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को सखाराम तथा पंचराम के खेतों के बीच मेड़ में दफना दिया। अभियुक्तगण रोहित कुमार, चिरौंजीलाल, इन्दल और पूरन सिंह के प्रकटीकरण कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत लेखबद्ध किये गये जिन्हें क्रमशः प्रदर्श पी-1, पी -14, पी -15 एवं पी -16 अंकित किया गया। सह-अभियुक्त रोहित कुमार के प्रकटीकरण कथन के आधार पर अभियुक्त चिरौंजीलाल के घर से कुदाल और रेत प्रदर्श पी/2 के द्वारा बरामद किया गया। अभियुक्तगण इन्दल, चिरौंजीलाल और पूरन सिंह द्वारा किये गये प्रकटीकरण कथन के आधार पर रमनलाल यादव का शव सखाराम और पंचराम के खेतों के बीच की मेड़ से खोदकर, बरामद किया गया, जिसे प्रदर्श पी-8 के माध्यम से लेखबद्ध किया गया। विवेचना अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए। साक्षियों को आहूत करने के पश्चात् प्रदर्श पी-5 के माध्यम से, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सखाराम और पंचराम के खेतों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बीच मेड़ से शव बरामद किया गया। शव का पंचनामा प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया, जिससे रमनलाल यादव के रूप में पहचाने गये शव को बरामद किया गया। जिस स्थान पर शव पाया गया था, उसका पंचनामा प्रदर्श पी-3 के द्वारा से तैयार किया गया। शव परीक्षण उसी स्थान पर किया गया जहाँ शव बरामद हुआ था, जिसे डॉ. वाई.के. सिंह और डॉ. ए. रशीद की टीम द्वारा प्रदर्श डी-2 के द्वारा से किया गया, जिन्होंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित लक्षण और चोटें पाईं:-

"सिर के बाल आसानी से उखड़ने योग्य थे। आँखें नेत्र-कोटर से बाहर निकली हुई थीं। जीभ सूजी हुई थी, बाहर निकली हुई थी और दांतों के बीच में थी। पूरा शरीर सूजा हुआ था। ऊपरी और निचले हिस्से से मृत्यु पश्चात की अकड़न समाप्त हो गई थी। त्वचा आसानी से उधड़ रही थी। मलाशय बाहर निकला हुआ था। हृदय के दोनों कोष्ठ खाली थे। आमाशय खाली था।

i. दोनों पैरों के निचले हिस्सों में भूरे-नीले रंग के कई खरोंच मौजूद थे।

ii. दाहिने हाथ में 2 सें.मी. की दूरी पर दो फटे हुए घाव मौजूद थे।

iii. छाती पर विभिन्न आकारों के कई खरोंच मौजूद थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**iv.** कमर के पिछले हिस्से पर खरोंच थे।

**v.** गर्दन पर दोनों तरफ और आंतरिक रूप से कई खरोंच पाए गए।

**vi.** हायड अस्थि के दोनों कॉर्नू पर अस्थिभंग थे।

**vii.** अवटु उपास्थि अस्थिभंग थी।"

चिकित्सक की राय में, मृत्यु का प्रकार गला घोंटने के कारण श्वासावरोध था और मृत्यु, शव परीक्षण के समय से 48 से 72 घंटों के भीतर कारित हुई थी, जो प्रकृति में मानव-वध थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. सादी मिट्टी, गीली मिट्टी और रक्त-रंजित मिट्टी को प्रदर्श पी-4 के माध्यम से जब्त किया गया। मृतक के विसरा को प्रदर्श पी-18 के माध्यम से जब्त किया गया। अ.सा.2 आत्माराम का पुलिस कथन प्रदर्श पी-7 के माध्यम से लेखबद्ध किया गया।घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी-12 के माध्यम से तैयार किया गया। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-19 के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया।

5. साक्षियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के अंतर्गत लेखबद्ध किये गये। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात्, अभियोग

पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, धमतरी को उपार्पित कर दिया, जहाँ से अपर सत्र न्यायाधीश ने विचारण हेतु प्रकरण को अंतरण पर प्राप्त किया।

6. अपीलार्थी का दोष साबित करने के लिए, अभियोजन ने कुल 16 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्तगण के कथन भी संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किये गये, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रकट होने वाली परिस्थितियों का खंडन किया और निर्दोष होने तथा मिथ्या फंसाये जाने का अभिकथन किया। अभियुक्त व्यक्तियों ने बचाव साक्षी के रूप में ब.सा.1 मेहत्तर का भी परीक्षण कराया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट किया है।

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर यह तर्क दिया कि दोषसिद्धि अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत पर आधारित है। अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत के मामले में, अभियोजन को यह साबित करना आवश्यक है कि मृतक की मृत्यु से शीघ्र पूर्व, मृतक को अपीलार्थीगण के

साथ अंतिम बार जीवित देखा गया था और उसके पश्चात् वह मृत पाया गया तथा अंतिम बार देखे जाने एवं शव की बरामदगी के बीच कोई पर्याप्त समय अंतराल नहीं है कि मृतक के साथ किसी अन्य व्यक्ति के होने की संभावना को पूरी तरह से नकारा जा सके। यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण करना सम्यक् रूप से साबित नहीं किया गया था; घटना स्थल और शव का प्रकटीकरण विश्वसनीय एवं भरोसेमंद साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया गया है; वह स्थान जहाँ से शव बरामद किया गया था, एक खुला स्थान था; अभियोजन ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जब मृतक जीवित था तब अपीलार्थी ही वे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था, इसलिए, यदि अभियोजन के साक्ष्य को उसके उसी रुप में स्वीकार कर भी लिया जाये, तो भी यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि अपीलार्थी ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने मृतक का मानव वध, जो हत्या की कोटि में आता है, कारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और यह तर्क दिया कि वर्तमान मामले में, अभियोजन ने अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त परिस्थितियाँ साबित कर दी हैं। उन्होंने आगे तर्क

दिया कि अ.सा.2 आत्माराम, अ.सा.5 लछमन और अ.सा.8 प्यारेलाल ने पंचनामा साबित कर दिया है और अभियुक्त की सूचना पर बरामद किये गये रमनलाल के शव की पहचान कर ली है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति को अ.सा.12 नेस्टोर कुजूर, विवेचना अधिकारी, अ.सा.7 डॉ. वाय. के. सिंह, जिन्होंने घटनास्थल पर शव परीक्षण किया, द्वारा साबित किया गया है, यह तथ्य साबित हो चुका है कि मृतक रमनलाल यादव की मृत्यु की प्रकृति मानव-वध थी। अभियुक्त इन्दल, पूरन सिंह और चिरौंजीलाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उस स्थान को प्रकट किया था जहाँ रमनलाल का शव दफनाया गया था। इसलिए, वे ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने रमनलाल की मृत्यु के तथ्य को पहली बार प्रकट किया था। शव उनकी सूचना पर बरामद किया गया था; अ.सा.8 प्यारेलाल, अ.सा.3 जगदीश, अ.सा.4 खोरबाहरा, अ.सा.11 पंचूराम के कथन स्पष्ट रूप से यह स्थापित करते हैं कि मृतक को अंतिम बार अपीलार्थीगण के साथ देखा गया था, इससे पहले कि उसका शव सखाराम के खेत के बीच मेड़ में पाया गया था। इस संबंध में अभियुक्तों द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उपरोक्त सभी परिस्थितियाँ यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने उपरोक्त अपराध कारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए, हमने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण किया है।

11. वर्तमान मामले में, मृत्यु-पूर्व की चोटों के परिणामस्वरूप रमनलाल की मानव-वध मृत्यु को अपीलार्थीगण द्वारा सारवान् रूप से विवादित नहीं किया गया है, अन्यथा यह अ.सा.7 डॉ. वाय. के. सिंह के साक्ष्य से स्थापित है, जिन्होंने शव परीक्षण किया है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शव पर पाई गई क्षतियां इस तथ्य की द्योतक हैं कि मृत्यु का प्रकार गला घोंटने के कारण श्वासावरोध था और मृत्यु, शव परीक्षण के समय से 48 से 72 घंटों के बीच कारित हुई थी। बरामद किया गया शव रमनलाल का था, यह भी अ.सा.2 आत्माराम, अ.सा.5 लछमन सिंह साहू, अ.सा.8 प्यारेलाल और अ.सा.12 नेस्टोर कुजूर द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के कारण अविवादित है। वर्तमान मामले में, अभियोजन ने अंतिम बार साथ देखे जाने को साबित करने के लिए अ.सा.3 जगदीश, अ.सा.4 खोरबाहरा, और अ.सा.11 पंचूराम का, पंचनामा के साक्ष्य के रूप में अ.सा.2 आत्माराम, अ.सा.5 लछमन, अ.सा.8 प्यारेलाल और अ.सा.12 नेस्टोर कुजूर का, विशेष थाने के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा आत्मसमर्पण साबित करने के लिए अ.सा.16 बी.डी. नन्द का, प्रकटीकरण कथन साबित करने के लिए अ.सा.13 रामप्यारे, अ.सा.14 कन्हैयालाल, अ.सा.5 लछमन, अ.सा.8 प्यारेलाल, अ.सा.9 रामकुमार और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अ.सा.12 नेस्टोर कुजूर का तथा हेतु के संबंध में अ.सा.8 प्यारेलाल और अ.सा.15 रेशमबाई का परीक्षण कराया है।

12. जहां तक प्रश्नगत अपराध में अपीलार्थीगण की संलिप्तता का संबंध है, अ.सा.3 जगदीश ने अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण मृतक के साथ शराब मांगने के लिए उसके घर आए थे, जिसे देने से उसने इंकार कर दिया। तत्पश्चात् वे अ.सा.4 खोरबाहरा के पास गए। अ.सा.4 खोरबाहरा ने अभिसाक्ष्य दिया है कि वे मृतक रमनलाल यादव के साथ उसके घर आए, शराब का सेवन किया और तत्पश्चात् वे उसके घर से चले गए। अपीलार्थीगण अ.सा.3 जगदीश और अ.सा.4 खोरबाहरा से भली-भांति परिचित थे। अ.सा.3 जगदीश और अ.सा.4 खोरबाहरा के कथन अखंडित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अ.सा.8 प्यारेलाल ने अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 13-7-99 को, पूछताछ करने पर, अभियुक्त इन्दल के पिता ने बताया कि इन्दल प्रातः 4.00 बजे घर लौटा था, जहाँ उसकी माँ ने बताया कि इन्दल रात्रि लगभग 11.00 बजे लौटा था। अ.सा.8 प्यारेलाल ने अभियुक्त से मृतक रमनलाल यादव के बारे में पूछा। उसकी पूछताछ के उत्तर में, अपीलार्थी ने कहा कि चूंकि उन्होंने अत्यधिक शराब का सेवन कर लिया था, इसलिए वे नहीं

जानते कि रमनलाल कहाँ गया है। साक्षियों द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि अपीलार्थीगण को दिनांक 12-7-99 की रात्रि को लगभग 7-8 बजे मृतक रमनलाल के साथ अंतिम बार देखा गया था और उन्होंने शराब का सेवन किया था।

14. दिनांक 14-7-99 को, अभियुक्तगण ने स्वयं विशेष थाना, रायपुर के समक्ष आत्मसमर्पण किया, यह कहते हुए कि उन्होंने मृतक की हत्या कर दी है और शव को सखाराम तथा पंचराम के खेतों के बीच मेड़ में दफना दिया है। तब तक, अ.सा.8 प्यारेलाल द्वारा दर्ज गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट पर तलाश किये जाने के बावजूद, किसी को भी यह जानकारी नहीं थी कि रमनलाल की मृत्यु हो चुकी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अभियोजन ने अपीलार्थीगण के साथ-साथ सह-अभियुक्त रोहित कुमार के प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी-1, पी-14, पी-15 एवं पी-16 के माध्यम से लेखबद्ध किये हैं, किन्तु उक्त प्रकटीकरण कथनों के आधार पर किये गये प्रकटीकरण कथनों एवं जब्ती का अ.सा.13 रामप्यारे और अ.सा.14 कन्हैयालाल द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। उन्होंने केवल दस्तावेजों पर

अपने हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने पुलिस के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। अभियोजन ने इन दोनों साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर दिया है, अपनी प्रतिपरीक्षण में भी, उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

16. अ.सा.12 नेस्टोर कुजूर, विवेचना अधिकारी ने अपने साक्ष्य में अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने अपीलार्थीगण के कथन प्रदर्श पी-14, पी -15 एवं पी -16 के माध्यम से लेखबद्ध किये हैं और अपीलार्थीगण की सूचना पर, उसने सखाराम और पंचराम के खेतों के बीच मेड़ से मृतक का शव बरामद किया है। अपनी विस्तृत प्रतिपरीक्षण में, उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने अनुचित प्रभाव डालकर साक्षियों के हस्ताक्षर लिये हैं। उसने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि मेमोरेंडम साक्षियों के समक्ष तैयार नहीं किया गया था। उसने इस सुझाव से भी इंकार किया कि पुलिस को स्थान की जानकारी थी और केवल उसके बाद ही प्रकटीकरण कथन तैयार किया गया था। अ.सा.12 नेस्टोर कुजूर के अनुसार, अपीलार्थीगण ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और उन्हें अभिरक्षा में लिया गया था तथा थाना प्रभारी, अर्जुनी को सौंप दिया गया था और तत्पश्चात् अपीलार्थीगण की सूचना पर, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मेमोरेंडम तैयार किये गये थे। अपीलार्थीगण की सूचना पर शव बरामद किया गया था। अ.सा.13 रामप्यारे और अ.सा.14 कन्हैयालाल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे यह दर्शित हो कि उन्होंने पुलिस के डर या दबाव में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रकट होगा कि वे सत्य को छिपा रहे हैं। इन परिस्थितियों में, प्रकटीकरण कथनों और प्रकटीकरण कथनों के आधार पर जब्ती के संबंध में विवेचना अधिकारी नेस्टोर कुजूर (अ.सा.12) का साक्ष्य विचारणीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. पुलिस के साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वे विवेचना अधिकारी हैं या मामले के परिणाम में हितबद्ध पुलिस हैं। **अनिल उर्फ आंद्या सदाशिव नंदोस्कर बनाम महाराष्ट्र राज्य**[1] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिधारित किया गया है कि साक्षियों का पुलिस अधिकारी होना स्वतः ही उनकी विश्वसनीयता के बारे में संदेह उत्पन्न नहीं करता है, यदि पंच साक्षियों का अपरीक्षण संतोषजनक ढंग से स्पष्ट किया गया हो। सुसंगत अंश निम्नानुसार है:

> "वास्तव में, अभियोजन के वे सभी पांच साक्षी, जिनका परीक्षण तलाशी और जब्ती के समर्थन में किया गया है, छापा मारने वाले दल के सदस्य थे। वे

[1] ए.आई.आर.1996 एस.सी.डब्लू.2943

सभी पुलिस अधिकारी हैं। तथापि, ऐसा कोई विधि का नियम नहीं है कि पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए या यह कि यह किसी आंतरिक दुर्बलता से ग्रस्त है। तथापि, प्रज्ञा यह अपेक्षा करती है कि पुलिस अधिकारियों, जो मामले के परिणाम में हितबद्ध हैं, के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए और स्वतंत्र रूप से उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारी साक्ष्य देने के लिए किसी निर्योग्यता से ग्रस्त नहीं होते हैं और केवल यह तथ्य कि वे पुलिस अधिकारी हैं, स्वतः ही उनकी विश्वसनीयता के बारे में कोई संदेह उत्पन्न नहीं करता है। हमने सभी 5 पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक और समालोचनात्मक विश्लेषण किया है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि उनमें से कोई भी अपीलार्थी के प्रति पक्षद्रोही था और लंबी प्रतिपरीक्षण के बावजूद उनका साक्ष्य संपूर्णतः अखंडित रहा है। इन साक्षियों ने स्पष्ट शब्दों में उस जाल का विवरण दिया है जो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी को पकड़ने के लिए बिछाया गया था और उस रीति का, जिससे उसे पकड़ा गया था। अपीलार्थी से हथियारों की तलाशी और जब्ती के संबंध में उनका साक्ष्य सीधा, सुसंगत और विशिष्ट है। यह विश्वास उत्पन्न करता है और अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उनके साक्ष्य में कोई गंभीर, घातक तो दूर, दुर्बलता इंगित करने में सक्षम नहीं हुए हैं। हमारी राय में, अपीलार्थी के सचेतन आधिपत्य से देसी रिवॉल्वर की तलाशी और जब्ती का तथ्य अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित किया गया है। दो पंच साक्षियों के अपरीक्षण के लिए अभियोजन द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, जो (अ.सा.-4) पु.नि. गायकवाड़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श 24 द्वारा समर्थित है, संतोषजनक है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य दर्शाते हैं कि छापा मारने वाले दल ने तलाशी और जब्ती के समय दो स्वतंत्र पंचों को अपने साथ शामिल करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास किये और उन्हें शामिल किया गया। उन्हें अभियोजन साक्षी के रूप में भी उद्धृत किया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है और साक्ष्य देने के लिए आहूत किया गया था। तथापि, अभियोजन द्वारा उन्हें तामील करने के लिए किये गये लगनशील प्रयासों के बावजूद, उनका पता नहीं लगाया जा सका या उन्हें खोजा नहीं जा सका और इसलिए, विचारण में उनका परीक्षण नहीं किया जा सका। रिपोर्ट प्र. 24 में कथित तथ्यों, जिनकी शुद्धता (अ.सा.-4) की प्रतिपरीक्षण के दौरान वस्तुतः अप्रतिवादित रही है, के परिप्रेक्ष्य में, दो पंचों के अपरीक्षण को किसी परोक्ष कारण से होना नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार विचारण में उन्हें प्रस्तुत न करने से अभियोजन के मामले में कोई कमी नहीं आई है। अभियोजन पर इन साक्षियों को रोक रखने का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसने उन्हें विचारण में खोजने और प्रस्तुत करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन इस तथ्य के कारण असफल रहा कि वे तलाशी के समय उनके द्वारा दिए गए पते को छोड़ चुके थे और उस संबंध में लगनशील प्रयास के बावजूद उनके पते-ठिकाने का पता नहीं लगाया जा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सका। इसलिए, हम अपीलार्थी को पकड़े जाने, छापा मारने वाले दल द्वारा तलाशी और जब्ती, और अपीलार्थी से देसी रिवॉल्वर और कारतूसों की बरामदगी, जिसके लिए वह कोई अनुज्ञप्ति या प्राधिकार प्रस्तुत नहीं कर सका, से संबंधित अभियोजन वृतांत की शुद्धता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं पाते हैं, क्योंकि पंच साक्षियों के अपरीक्षण के बावजूद हम (अ.सा.1) से (अ.सा.-5) तक के साक्ष्य को विश्वसनीय, सुसंगत और भरोसेमंद पाते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर ही आधारित दोषसिद्धि के संबंध में, **धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि है कि :"जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे न केवल पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए, बल्कि इस प्रकार स्थापित सभी परिस्थितियाँ एक निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ ही संगत होनी चाहिए। ये परिस्थितियाँ अभियुक्त के दोष के सिवाय किसी अन्य परिकल्पना द्वारा स्पष्ट किये जाने योग्य नहीं होनी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी

[2] (1994) 2 एस.सी.सी 220

चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के साथ संगत किसी विश्वास के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न बचे। यह स्मरण रखने की आवश्यकता है कि केवल विधितः स्थापित परिस्थितियाँ, न कि न्यायालय का मात्र रोष, दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं और अपराध जितना अधिक गंभीर होगा, साक्ष्य की उतनी ही अधिक सावधानी से संवीक्षा की जानी चाहिए, जहाँ कि लेशमात्र संदेह प्रमाण का स्थान ले लेता है।"

19. **बोथ राज उर्फ बोधा एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य**[3] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है, लेकिन दोषसिद्धि से पूर्व निम्नलिखित शर्तें, जो पारिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हों, पूरी तरह से स्थापित की जानी चाहिए। वे हैं :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1) वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह से स्थापित की जानी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ 'अवश्य' या 'चाहिए' स्थापित हों, न कि 'हो सकती हैं' स्थापित हों;

2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ ही संगत होने चाहिए, अर्थात्, वे अभियुक्त के दोष के सिवाय

[3] ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 3164

किसी अन्य परिकल्पना द्वारा स्पष्ट किये जाने योग्य नहीं होने चाहिए;

3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

4) वे साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को अपवर्जित करती हों;

5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के साथ संगत निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न बचे और यह अवश्य दर्शित होना चाहिए कि समस्त मानवीय अधिसम्भाव्यता में वह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. सर्वोच्च न्यायालय ने गोवा राज्य बनाम संजय ठाकरान एवं अन्य से जुड़े एक अन्य[4] मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अंतिम बार साथ देखे जाने के मामले में, अंतिम बार साथ देखे जाने का प्रमाण सुसंगत होगा यदि अभियोजन यह स्थापित करता है कि मध्यवर्ती अवधि के दौरान अभियुक्त के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति के घटना स्थल पर मृतक से मिलने या उसके पास पहुँचने या अपराध कारित करने से पहले उसकी कोई संभावना नहीं थी। उक्त निर्णय का कण्डिका 34 इस प्रकार है:-

[4] (2007) 3 एस.सी.सी 755

"34. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत से, अभियुक्त के अपराध को अभिनिर्धारित करने के लिए सामान्यतः अंतिम बार साथ देखे जाने की परिस्थिति को ध्यान में रखा जाएगा, जब यह अभियोजन द्वारा स्थापित किया जाता है कि अभियुक्त और मृतक को एक साथ जीवित देखे जाने के समय और मृतक के मृत पाए जाने के समय के बीच का समय अंतराल इतना कम था कि मृतक के साथ किसी अन्य व्यक्ति के होने की संभावना को पूरी तरह से नकारा जा सके। अभियुक्त व्यक्तियों की संगति में मृतक के देखे जाने और मृतक की मृत्यु के बीच का समय अंतराल, अभियुक्त के विरुद्ध एक परिस्थिति के रूप में इस पर निर्भरता रखने और साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए एक तात्विक विचारणीय विषय होगा। किन्तु, सभी मामलों में यह नहीं कहा जा सकता कि अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य केवल इसलिए खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि अंतिम बार साथ देखे जाने और मृतक के प्रकाश में आने के बीच का समय अंतराल एक विचारणीय लंबी अवधि है। इस संबंध में कोई निश्चित सूत्र नहीं हो सकता है और यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस मध्यवर्ती अवधि के दौरान मृतक से मिलने वाले किसी अन्य व्यक्ति की संभावना को समाप्त करने के लिए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर निर्भर करेगा, अर्थात्, यदि अभियोजन यह दर्शाने में सक्षम है कि अभियुक्त के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का कर्ता होने की अधिसम्भाव्यता थी, तो यह असंभव हो जाता है, तब अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य, भले ही समय अंतराल लंबा हो, को परिस्थितियों की श्रृंखला में एक परिस्थिति माना जा सकता है जो ऐसे अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दोष को प्रमाणित करती है। अतः, यदि अभियोजन यह साबित करता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में, मध्यवर्ती अवधि में, घटना स्थल पर या अपराध कारित करने से पहले मृतक से किसी अन्य व्यक्ति के मिलने या उसके पास पहुँचने की कोई संभावना नहीं थी। उदाहरण के लिए, यदि यह दर्शाया जा सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति घटना स्थल के अनन्य आधिपत्य में थे जहाँ घटना हुई या जहाँ उन्हें मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था, और उस स्थान पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कोई अतिक्रमण की संभावना नहीं थी, तो अपेक्षाकृत व्यापक समय अंतराल भी अभियोजन के मामले को प्रभावित नहीं करेगा।"

21. **सहदेवन उर्फ सगदेवन बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक, चेन्नई द्वारा प्रतिनिधित्व**[5] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिधारित किया है कि यदि अभियोजन विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित करता है कि गुमशुदा व्यक्ति को अंतिम बार अभियुक्त की संगति में देखा गया था, तो अभियुक्त पर यह बाध्यात्मक होगा कि वह उन परिस्थितियों को स्पष्ट करे जिनमें वह गुमशुदा व्यक्ति से अलग हुआ था और अभियुक्त की संगति से अलग हुआ था। उक्त निर्णय का कण्डिका 19 निम्नानुसार है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"19. अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विश्वास की गई अंतिम परिस्थिति, अपीलार्थीगण द्वारा विचारण में वडीवेलु से अलग होने के संबंध में अपनाए गए अभिवचन से संबंधित है। यहाँ हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जैसा कि ऊपर विवेचना की गई है, अभियोजन ने यह तथ्य स्थापित कर दिया है कि वडीवेलु को दिनांक 5.3.1985

[5] (2003) 1 एस.सी.सी 534

की सुबह से कम से कम उसी दिन शाम 5 बजे तक अपीलार्थीगण की संगति में देखा गया था, जब उसे उसके घर लाया गया था और उसके बाद उसका शव दिनांक 6.3.1985 की सुबह पाया गया था। इसलिए, यह अपीलार्थीगण पर बाध्यात्मक हो गया है कि वे न्यायालय को इस संबंध में संतुष्ट करें कि वडीवेलु उनसे कैसे, कहाँ और किस रीति से अलग हुआ था। यह उस सिद्धांत पर आधारित है कि जो व्यक्ति अंतिम बार किसी अन्य की संगति में पाया गया हो, यदि वह बाद में गुमशुदा पाया जाता है, तो जिस व्यक्ति के साथ उसे अंतिम बार पाया गया था, उसे उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना होगा जिनमें वे अलग हुए थे। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी इस भार का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने कथन में, उन्होंने कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं लिया है। (अ.सा.-25) के साक्ष्य में, यह प्रकट हुआ है कि दिनांक 5.3.1985 को दोपहर में जब वडीवेलु को अ-1 के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तो उक्त अ-1 ने पूछताछ के बाद वडीवेलु को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाने की अनुमति दे दी, लेकिन फिर उसके साक्ष्य से यह पाया जाता है कि उसने अ-1 को वडीवेलु पर नजर रखने का निर्देश दिया।"ऐसी परिस्थितियों में, यह अ-1 पर अनिवार्य था कि वह न्यायालय को स्पष्ट करता कि वे किन परिस्थितियों में अलग हुए थे। उसने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसके विपरीत, अभियोजन ने यह तथ्य स्थापित किया है कि उसी दिन लगभग शाम 5 बजे, वडीवेलु को अपीलार्थीगण द्वारा (अ.सा.-1) के घर लाया गया था, जिसे (अ.सा.-5) द्वारा देखा गया था। (अ.सा.-5) के साक्ष्य का यह भाग प्रतिपरीक्षण में अप्रतिवादित रहा है और, इसलिए, हमें इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि इस संबंध में (अ.सा.-5) द्वारा जो कहा गया है वह सत्य है। यदि ऐसा है, तो अभियोजन ने यह तथ्य स्थापित कर दिया है कि दिनांक 5.3.1985 को शाम 5 बजे वडीवेलु अभी भी इन अपीलार्थीगण की संगति में था और, इसलिए, इस संबंध में अपीलार्थीगण से किसी विशिष्ट स्पष्टीकरण के अभाव में, और अभियोजन द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोगात्मक परिस्थितियों को साबित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में, वडीवेलु के गुमशुदा होने में उनकी भूमिका के संबंध में इन अपीलार्थीगण के विरुद्ध एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। इस बिंदु पर, यह ध्यान देना सुसंगत हो सकता है कि यद्यपि अपीलार्थीगण द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने कथन में, वडीवेलु से अलग होने के संबंध में कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं लिया गया है, किंतु अ.सा.1 और 5 के साक्ष्य से यह देखा गया है कि अ-1 ने उक्त साक्षियों को (दिनांक 5.3.1985 और 6.3.1985 की मध्यरात्रि) बताया कि वडीवेलु पुलिस थाने से भाग गया था जब उसे पुलिस थाने के बरामदे में सोने की अनुमति दी गई थी। अ-1 द्वारा अ.सा.-1 को दिया गया यह स्पष्टीकरण, जिसे अ.सा.5 और 14 ने भी सुना था, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह पूर्णतः असत्य है और स्पष्ट रूप से यह अपीलार्थीगण द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाने के लिए बनाया गया एक बहाना था और, इसलिए, अ-1 द्वारा अ.सा.-1 से असत्य कथन करने की यह परिस्थिति भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण के विरुद्ध, उनके दोष को स्थापित करने में, एक परिस्थिति के रूप में मानी जा सकती है। इस न्यायालय ने ऐसे एक मामले में, एक मामले में यह अभिनिधारित किया है कि यदि अभियोजन, विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, यह स्थापित करता है कि गुमशुदा व्यक्ति को अंतिम बार अभियुक्त की संगति में देखा गया था और उसके बाद कभी नहीं देखा गया, तो यह अभियुक्त पर बाध्यात्मक है कि वह उन परिस्थितियों को स्पष्ट करे जिनमें गुमशुदा व्यक्ति और अभियुक्त अलग हुए थे। जोसेफ बनाम केरल राज्य [2000 5 एस सी सी 197] देखें। इसलिए, हम अधीनस्थ न्यायालयों के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि परिस्थिति सं. 7 भी अपीलार्थीगण के विरुद्ध स्थापित होती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. वर्तमान मामले में, अ.सा.12 नेस्टोर कुजूर की विस्तृत प्रतिपरीक्षण में, बचाव पक्ष उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय करने या निर्धारित प्रक्रिया से कोई विचलन दर्शाने के लिए कुछ भी उद्घाटित नहीं कर सका है। मृतक का शव अपीलार्थीगण की सूचना पर बरामद किया गया है। अ.सा.3 जगदीश,

अ.सा.4 खोरबाहरा और अ.सा.11 पंचूराम का अंतिम बार साथ देखे जाने के संबंध में साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है और उनके साक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसेमंद हैं। यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मृतक अपीलार्थीगण की संगति में था। अपीलार्थी वे व्यक्ति हैं जिन्हें मृतक के साथ अंतिम बार जीवित देखा गया था और तत्पश्चात् मृतक का शव बरामद किया गया, वह भी अपीलार्थीगण की सूचना पर। मृतक की संगति से अलग होने के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किये जाने के अभाव में, केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी ही अपराध के कर्ता हैं और उन्होंने मृतक की मानव-वध मृत्यु कारित की है और ऐसा अपराध कारित करने के पश्चात्, दांडिक मामले के साक्ष्य को छिपाने के आशय से, मृतक के शव को सखाराम और पंचराम के खेतों के बीच मेड़ में दफना दिया है। उपरोक्त साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी ही एकमात्र व्यक्ति हैं और कोई नहीं, जिन्होंने मृतक रमनलाल यादव की हत्या कारित की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

23. जहाँ तक हेतुक का संबंध है, अ.सा.8 प्यारेलाल ने अपने कथन के कण्डिका 6 में अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना का वास्तविक कारण यह था कि अभियुक्त चिरौंजीलाल और मृतक रमनलाल के बीच पिछले 3-4 वर्षों से

पुरानी शत्रुता थी। उसने आगे कण्डिका 11 में कहा है कि बरसातू के होटल में, अभियुक्त व्यक्तियों और मृतक रमनलाल का झगड़ा हुआ था और पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन चूँकि अभियुक्त व्यक्ति और रमनलाल नहीं आए, इसलिए कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। अ.सा.8 प्यारेलाल के इस कथन की संपुष्टि अ.सा.15 रेशमबाई, मृतक की पत्नी, द्वारा भी की गई है, जिसने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना की तारीख से 8 माह पूर्व, मृतक रमनलाल ने उसे चिरौंजीलाल आदि के साथ अपनी शत्रुता के बारे में बताया था। उसने आगे कहा है कि उसके पति के गुमशुदा होने की तारीख को, उसके पति और अभियुक्त व्यक्तियों का बरसातू के होटल में झगड़ा हुआ था। अ.सा.8 प्यारेलाल और अ.सा.15 रेशमबाई के उपरोक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में, अभियोजन ने अभियुक्त व्यक्तियों और मृतक के बीच पूर्व शत्रुता को स्थापित कर दिया है। इसलिए, मृतक पर विचार करने के पश्चात्, समग्र रूप से, चोटों की प्रकृति और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए हेतुक का सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में, हमारा यह सुविचारित मत है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को मृतक रमनलाल यादव की मानव-वध मृत्यु कारित करने और सामान्य आशय धारण करने तथा दांडिक

मामले के साक्ष्य का विलोपन करने के लिए दोषी मानने में कोई त्रुटि नहीं की है।

25. इस प्रकार, हम इन अपीलों में कोई सार नहीं पाते हैं। हम अपीलार्थीगण की, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 तथा धारा 201 के अंतर्गत दोषसिद्धि और विचारण न्यायालय द्वारा उन पर अधिरोपित दंडादेश को कायम रखते हैं। अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। उन्हें शेष दंडादेश भुगतने के लिए अभिरक्षा में लिया जावे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. अपीलें खारिज की जाती हैं।

**सही/-**
**टी.पी.शर्मा**
**न्यायाधीश**

**सही/-**
**एन.के.अग्रवाल**
**न्यायाधीश**

---

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By Bhumesh Bharti**